

29/12/15

कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,
संभाग, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : कस्बा इन्दौर (स्नेहलतागंज), जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 148/मिन-2(148/1653 (151/1654 पैकि) कुल रकबा 1.275 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय सह वाणिज्यिक (मैनुफेक्चरिंग रेडिमेड पार्क) उपयोग हेतु बहुमंजिला भवन के स्थल अनुमोदन बाबद।

संदर्भ : 1. आपका आवेदन इस कार्यालय में आवक क्रमांक 1248 दिनांक 16/03/2015 एवं 2. हाईराईज कमेटी की बैठक दिनांक 22/07/2015 का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 6373, दिनांक 07/08/2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग, इन्दौर द्वारा कस्बा इन्दौर (स्नेहलतागंज), जिला इन्दौर में स्थित खसरा क्रमांक 148/मिन-2(148/1653 (151/1654 पैकि) कुल रकबा 1.275 हेक्टेयर भूमि पर मार्ग के सामने 27.60 मीटर ऊँचे भवन हेतु प्रस्तावित ब्लॉक की पाँचवी मंजिल तक वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत मैनुफेक्चरिंग रेडिमेड पार्क तथा शेष ऊपरी मंजिलों पर आवासीय तथा उक्त ब्लॉक के पीछे 45.0 मीटर ऊँचे आवासीय बहुमंजिला भवन हेतु स्थल अनुमोदन बाबद म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 में आवेदन प्रस्तुत किया है।


म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(1) के प्रावधानों अनुसार 30.0 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु ऊँचे भवन स्थल अनुमोदन समिति से स्थल अनुमोदन कराना आवश्यक है। आवेदक ने प्रकरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क चालान क्र. 39 दिनांक 05/03/2015 राशि 10,000.0 एवं अनुज्ञा शुल्क चालान क्र. 2... दिनांक 29/12/2015 राशि 1,92,000.0 इस प्रकार कुल राशि 2,02,000.0 जमा।
3. भू-स्वामित्व दस्तावेज।
4. शपथ पत्र।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
7. अभिन्यास/रूपांकन मानचित्र।

भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थित में बहुमंजिला समिति द्वारा गठित स्थल निरीक्षण समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रश्नाधीन स्थल को दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30.0 मीटर चौड़े मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण का तकनीकी परिक्षण किया गया। विषयांकित भूमि का इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपयोग आवास एवं मार्ग है।

चूंकि, आवेदक प्रश्नाधीन स्थल पर 27.60 एवं 45.0 मीटर ऊँचे भवनों का निर्माण करना चाहता है एवं अनुमोदन के संबंध में म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इस कारण ऊँचे भवनों के स्थल बैठक दिनांक 22/07/2015 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। हाईराईज समिति द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड पर 27.60 मीटर एवं 45.0 मीटर ऊँचे भवन हेतु स्थल अनुमोदन कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 6373 दिनांक 07/08/2015 द्वारा निम्न शर्तों के अधीन किया गया है :-

अविरत.....2



1. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विनियम, 1973 के अन्तर्गत नियोजन अनुज्ञा प्राप्त करने वाली तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तर्गत भवन अनुज्ञा प्राप्त करने वाली होगी।
2. आवेदक को प्रस्तावित भवन के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर का स्थान फायर ब्रिगेड मूवमेंट हेतु खुला छोड़ना होगा, जिस में ट्रांसफार्मर तथा अन्य किसी प्रकार का अवरोध रूपी निर्माण मान्य नहीं होगा।
3. बेसमेंट में जाने हेतु रेम्प का निर्माण फायर ब्रिगेड हेतु आरक्षित मूवमेंट स्पेस में नहीं किया जावेगा।
4. संस्था को एस.टी.पी. लगाना होगा।
5. संस्था को नियमानुसार वाटर हार्वैस्टिंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा परिसर में 25 प्रतिशत क्षेत्र सॉफ्ट सरफेस (हरित क्षेत्र) के रूप में विकसित करना होगा।
6. संस्था को परिसर के अन्दर तथा संलग्न क्षेत्र में जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।
7. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार निःशक्तजनों हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।
8. फायर फायटिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु फायर अथॉरिटी को समुचित सहयोग/अंशदान देना होगा।
9. मार्ग विस्तार अन्तर्गत आने वाली भूमि बिना मुआवजा के जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के पक्ष में सौंपना होगा, जिसके विरुद्ध नियमानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

अध्यक्ष बहुमंजिला समिति एवं आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर ने उनके पत्र क्र. 832, दिनांक 03/08/2015 द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. जल प्रदाय व्यवस्था एवं सीवेज कलेक्शन के संबंध में निम्नलिखित शर्तें आरोपित करने हेतु निर्देशित किया है।

1. संस्था को आंतरिक टोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना एवं प्रवधान ले-आउट में करना होगा। नगर निगम द्वारा बाहरी परिधि से आवश्यक उपभोक्ता प्रभार जमा करवा कर टोस अपशिष्ट ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक भेजा जावेगा।
2. नगर निगम की जल वितरण नलिकाओं/टंकी से जल संयोजन आवेदक को प्राप्त करना होगा। जल संयोजन स्थल से कॉलोनी तक की पाईप लाईन एवं अन्य कार्य करने का व्यय आवेदक को ही वहन करना होगा।
3. नगर निगम की प्राथमरी सीवेज लाईन से सीवेज का संयोजन आवेदक को स्वयं के व्यय पर नगर निगम से सुपर विजन चार्जज जमा करते हुए करना होगा। आवेदक द्वारा स्थापित किया जाने वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आउट फ्लो उक्त प्राथमरी सीवेज लाईन से जोड़ना होगा।

प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विकास योजना 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऊँचे भवनों हेतु समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(3) सह-पठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि पर संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार यथावर्णित विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु 27.60 मीटर एवं 45.0 मीटर ऊँचे बहुमंजिला भवन के निर्माण हेतु नियोजन अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जाती है :-

अविरत.....3

विधानसभामें अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों या संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।

क. भू-राजस्व संहिता 1959

ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998

स. अन्य किसी अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा आवश्यक हो तो प्राप्त किया जावें।

द. नजूल अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो।

इ. इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

2. प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-

अ- ग्राउण्ड कवरेज 30.0 प्रतिशत अधिकतम।

ब- एफ.ए.आर. 1:2.0 अधिकतम।

स- एम.ओ.एस. निम्नानुसार रहेंगे :-

1. सामने दक्षिण दिशा में 15.0 मीटर
2. पश्चिम दिशा में 7.50 मीटर
3. पूर्व दिशा में 7.50 मीटर
4. उत्तर दिशा में 7.50 मीटर

5. पार्किंग : आवासीय उपयोग हेतु एक कार पार्किंग प्रति 100.0 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की दर से तथा मैनुफेक्चरिंग रेडिमेड गारमेट उपयोग हेतु एक कार पार्किंग प्रति 50.0 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की दर से तथा इसके अतिरिक्त दुपहिया वाहनों की पार्किंग हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 81 के प्रावधानों अनुसार न्यूनतम स्थल आरक्षित रखना होगा तथा इस संबंध में म.प्र.भूमि विकास नियम, 2012 एवं इन्दौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

3. बहुमंजिला समिति द्वारा किये गए अनुमोदन में आरोपित शर्तों का पालन करना होगा।

4. प्रश्नाधीन स्थल के दक्षिण दिशा में इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार मार्ग की चौड़ाई 30.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी जाना आवश्यक है।

5. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम सीमा क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998 में दिनांक 19/04/2012 को हुए संशोधन अनुसार आवेदक ने कमजोर आय वर्ग व निम्न आय वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है। कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग का प्रावधान आवेदक द्वारा विस्तृत भवन मानचित्र के समय किया जावेगा। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावें तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई संयोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावें।

6. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।

अविरत....4

नगर विकास को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा प्राथमिक सुविधा जैसे जल, मल निष्कासन, बिजली, सड़क, गैर-सुरक्षित आदि प्रदान करने का काम होगा।

- 9. नगर विस्तार के अन्तर्गत आने वाले भूमि का कब्जा दिना मुआवजा के इन्दौर विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय / कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा। इसके विरुद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 फुटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।
- 10. उपरोक्त प्रावधानों का पालन करते हुए इन्दौर विकास योजना एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम से विस्तृत भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरांत ही स्थल पर भवन निर्माण किया जावे।
- 11. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं अन्य प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसके स्थल पर विकास/निर्माण के पूर्व आवेदक को प्राप्त करना होगा।
- 12. अनुमोदित मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
- 13. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 78(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्नेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
- 14. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 एवं 33 तथा 52 का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 65 से 89 (यथा लागू) के साथ-साथ सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 15. प्रत्येक तल पर पृथक-पृथक प्रकार के कचरे रखने के स्थान आरक्षित रखते हुए भू-तल पर एक पृथक-पृथक घर बड़े रूप में ऐसे स्थान पर बनाने होंगे कि, नगर निगम वाहन द्वारा आसानी से कचरा उठाया जा सके एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली अपनायी होगी।
- 16. भवन में एस.टी.पी./रिसाईकलिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा तथा यह प्लांट सबसे नीचे वाले बेसमेंट में निर्मित किया जावेगा।
- 17. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करना होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
- 18. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगी तथा सभ्य अधिकारी, अग्निशमन से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 19. भवन के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
- 20. भवन में अग्नि प्राथमिक मटेरियल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
- 21. बेसमेंट में एन.बी.सी. तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 76 का पूर्णतः पालन करना होगा।

अविरत.....5

(Handwritten signatures and marks)

22. भवन में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग श्रेणी में विभक्त कर भवन के लिये डाक यार्ड में तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने तथा डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक की होगी।
23. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 60 का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
24. भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाल्ट अथवा स्वीकृति के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।
25. परिसर में वर्षा अथवा अन्य किसी प्रकार का जल आस-पास की सड़कों पर प्रवाहित न हो, इस बाबत समुचित उपाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
26. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 8 (क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 15,00,000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8 (ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर क्षेत्र या उससे अधिक और/या 1,50,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरणीय विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-5-23/2003/32, दिनांक 14.10.2005 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. एसओ 801 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक आवेदक को नियमानुसार ई.पी.ए.एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पैक्टस असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
27. भवन में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रीन बेल्ट विकसित करना अनिवार्य होगा।
28. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के तहत कुर्सी तल का प्रमाण-पत्र नियम 97 के तहत सर्विस प्रमाण-पत्र एवं अधिभोग प्रमाण-पत्र तथा नियम 98 के तहत भवन पूर्णतः का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
29. 'बेसमेंट निर्माण' में एन.बी.सी. तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 73 का पूर्णतः पालन करना होगा।
30. अंगीकृत इन्दौर विकास योजना 2021 के पैरा क्रमांक 6.8.4 एवं 6.10.12 अनुसार (पी.ओ.एफ.) प्रिमियम ऑन एफ.ए.आर. देय होगा। यह प्रिमियम नगर पालिक निगम में जमा कराया जावेगा जो इस प्रिमियम का उपयोग संबंधित क्षेत्र की बाह्य अधोसंरचना एवं पार्किंग विकास हेतु करेगी। यह दरें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेंगी।
31. आवेदक भवन निर्माण, अनुमोदित स्थल मानचित्र में दर्शाये उपयोग हेतु करेगा तथा भूमि का उप-विभाजन मान्य नहीं होगा।
32. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 1998 के अन्तर्गत अनुमतियाँ प्राप्त नहीं कर लेता।

अविरत.....6

33. यदि अन्य विभागीय/अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक आपत्तियों/अनुमतियों के कारण अभिन्यास में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस बाबत अभिन्यास पुनः अनुमोदित कराना होगा।
34. अंगीकृत इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार खान नदी छोटे जलाशय के अन्तर्गत आती है। इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार खान नदी व स्थल के मध्य 30.0 मीटर भूमि पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा। प्रस्तुत मानचित्र में खान नदी एवं प्रश्नाधीन भूमि के मध्य 30.0 मीटर भूमि आरक्षित की गई है जो कि, मान्य की जा सकती है।
35. प्रश्नाधीन स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व सिंचाई विभाग से अभिमत/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
36. भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्रय के सम्बंधी इशतहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्शन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
37. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिहोक) कर दी जावेगी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

पृ. क्र./ /INDLP-1248/15/डीएमडी/नग्रानि/2015

इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक- आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिनिधि, कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर को ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
5. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सक्षम अग्नि प्राधिकारी एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) क्रमांक 1, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संभागीय इंजीनियर (शहरी वृत्त), विद्युत वितरण कंपनी लि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क व सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. तहसीलदार, तहसील इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. वरिष्ठ-पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
12. क्षेत्रिय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. वेबसाईट कॉपी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म.प्र.

